

पत्रांक 15/एम 1-144/2014-537  
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना

प्रेषक,

एस0 एम0 करीम,  
निदेशक (उच्च शिक्षा)।

सेवा में,

कुलसचिव,  
बी0आर0ए0बी0यू0, मुजफ्फरपुर।  
जे0पी0यू0, छपरा।  
टी0एम0बी0यू0, भागलपुर।  
एल0एन0एम0यू0, दरभंगा।  
के0एस0डी0एस0यू0, दरभंगा।

पटना, दिनांक 12/3/2015


विषय:- श्री: विजय शंकर दूबे, अध्यक्ष, विश्वविद्यालय शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारी बकाया वेतन भुगतान समिति द्वारा पारित आदेश के आलोक में प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक विभागीय पत्रांक 2292 दिनांक 05.12.2014 एवं विभागीय पत्रांक 69 दिनांक 15.01.2015 एवं विभागीय पत्रांक 284 दिनांक 11.02.2015 का कृपया स्मरण करना चाहेंगे। उक्त के द्वारा श्री विजय शंकर दूबे, अध्यक्ष, विश्वविद्यालय शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारी बकाया वेतन भुगतान समिति द्वारा अंतिम प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराने के फलस्वरूप समिति द्वारा पारित आदेश के आलोक में बकाया राशि की विमुक्ति विश्वविद्यालयों को की जानी है।

अतः अनुरोध है कि उक्त समिति द्वारा आपके विश्वविद्यालय से संबंधित वादों में पारित आदेश, वाद संख्या एवं आवेदक के नाम के साथ राशि की गणना कर विस्तृत विवरणी विभाग को पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराने का कष्ट किया जाए।

विश्वासभाजन,

  
(एस0 एम0 करीम)  
निदेशक (उच्च शिक्षा)